

निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण  
प्रकरण संख्या 128/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
आवास फाईनेशियर्स लि. (पूर्व नाम एयू हाउसिंग फाईनेन्स लि.) पंजीकृत कार्यालय 201-202 फ्लोर साउथ  
एण्ड स्कवायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती सुप्यार देवी पत्नी श्री सांवरमल मीना,  
पता :- ग्राम श्यामपुरा, जयपुर  
एवं फ्लेट नं. 304, द्वितीय तल, खसरा संख्या 1310/1, 1311, 1655-1312, बड़ी कोठी, खेत ब्लॉक  
सी, विराट नगर, ग्राम व तहसील शाहपुरा, जयपुर।
2. श्री सांवर मल मीना पुत्र श्री मन्खन लाल मीना, निवासी ग्राम श्यामपुरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act, 2002.

उपस्थित:- श्री नरपत सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 11.07.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक  
13.12.2019 को पुनर्मुग्तान हेतु जमानत प्रतिमूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती सुप्यार देवी एवं श्री सांवर  
मल मीना के स्वामित्व की संपत्ति खसरा संख्या 1310/1, 1311, 1655-1312, बड़ी कोठी, खेत ब्लॉक  
सी, विराट नगर, जयपुर पर स्थित फ्लेट नं. 304, द्वितीय तल, क्षेत्रफल 350 वर्गफीट को बन्धक रख  
कर राशि 05,30,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी  
वित्तीय संस्था को ऋण मुग्तान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत  
अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.01.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने  
के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज मुग्तान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application  
under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and  
Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने  
पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का  
अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से  
सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि  
05,30,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिमूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बंधक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 04,55,875/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 10.01.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती सुप्यार देवी एवं श्री सांवर मल मीना के स्वामित्व की बंधक संपत्ति खसरा संख्या 1310/1, 1311, 1655-1312, बड़ी कोठी, खेत ब्लॉक सी, विराट नगर, जयपुर पर स्थित प्लेट नं. 304, द्वितीय तल, क्षेत्रफल 350 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आदेश दिनांक 11.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

५१२  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(अनन्य) जयपुर (ग्रामीण)